भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 282
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

पंजाब में ग्रिड रूफटॉप सौर प्रणाली

282. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तिथि तक पंजाब राज्य में कुल कितने ग्रिड रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में विगत दो वर्षों के दौरान ग्रिड रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना और उपयोग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य में सौर ऊर्जा की खपत और उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पंजाब राज्य में, पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कुल मिलाकर 200.32 मेगावाट ग्रिड सौर रूफटॉप क्षमता स्थापित किए जाने की सूचना दी गई है।

पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान, पंजाब राज्य में कुल मिलाकर 146.5 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता स्थापित की गई, जो पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में स्थापित कुल मिलाकर 120.3 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता की तुलना में अधिक है।

(ग) मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य सहित देश भर में सौर विद्युत की खपत और उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण अनलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'पंजाब में ग्रिड रूफटॉप सौर प्रणाली' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 282 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चल रही प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली तैयार करना। कुल 10 राज्यों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओँ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए)।

   (i) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I
   (ii) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II

7. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम

8. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फैलोशिप, इंटर्नशिप, अक्षय ऊर्जा के उन्नयन के लिए प्रयोगशाला का उन्नयन और रिन्युएबल एनर्जी चेयर के लिए सहायता जैसे कंपोनेंट के साथ मानव संसाधन विकास योजना।

*****